



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141-2227275, ई-मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांक:-एफ 4(42) परावि/पीसी/नव सृजित प.स.भ.नि./बजट/2014-15/450 जयपुर, दिनांक:- 7/2/18

(प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक:-34/2017-18)

राज्य में नवसृजित पंचायत समिति में से परिशिष्ट-1 में अंकित वर्णित 10 नवीन पंचायत समितियों को द्वितीय किस्त के रूप में राशि रूपये 600.00 लाख (अक्षरे रूपये छः करोड मात्र) संबंधित पंचायत समिति के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

मांग संख्या 41

4515:- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

103 :- ग्राम विकास।

(01) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रूपये 412.20 लाख।

मांग संख्या 51

4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

789 :- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना।

(10) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रूपये 106.80 लाख।

मांग संख्या 30

4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

796 :- जनजातीय क्षेत्र उप योजना।

(11) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रूपये 81.00 लाख।


कुल योग:-

राशि रूपये 600.00 लाख।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 331800037 दिनांक 29.1.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्न शर्तों के अध्यक्षीन जारी की जा रही है:-


1. मुख्यालय के दिशा निर्देशों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम तथा सा. वि. एवं लेखा नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
2. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पूर्ण करने होंगे तथा उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यथा समय मुख्यालय को भिजवाने होंगे।
3. विभाग बजट घोषणा के क्रियान्वयन को यथा समय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे तथा आगामी रिलीज के प्रस्ताव के साथ दिनांक 31.3.2018 तक 43 नवीन पंचायत समितियों के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न करावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(आर. एस. मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त राशि रुपये 600.00 लाख (अक्षरे रुपये छः करोड़ मात्र) संबंधित पंचायत रागितियों के पी.डी खाते में हस्तान्तरण की आज्ञा जारी करने का श्रम करे।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, संबंधित।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित।
10. प्रोग्रामर (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
11. अंक मिलान/सांख्यिकी/रक्षित पत्रावली।


(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

पर-1

नव सृजित पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु कोषालयवार/पंचायत समितिवार राशि आवंटन का विवरण
(राशि लाखों में)

क्र.स.	जिला/ कोषालय	पंचायत समिति	बजट मद			योग
			मांग संख्या 41	मांग संख्या 51	मांग संख्या 30	
			4515-103-(01)- [01]- 16	4515-789-(10)- [01] - 16	4515-796-(11)- [01]- 16	
1	2	3	4	5	6	7
1	जोधपुर ग्रामीण	सेखाला	68.70	17.80	13.50	100.00
2	जोधपुर ग्रामीण	देचू	68.70	17.80	13.50	100.00
3	नागौर	नावां	34.35	8.9	6.75	50.00
4	नागौर	मौलासर	34.35	8.9	6.75	50.00
5	अजमेर	सरवाड	34.35	8.9	6.75	50.00
6	भिलवाडा	बिजौलिया	34.35	8.9	6.75	50.00
7	जयपुर ग्रामीण	पावटा	34.35	8.9	6.75	50.00
8	डूंगरपुर	दोवडा	34.35	8.9	6.75	50.00
9	उदयपुर	झल्लारा	34.35	8.9	6.75	50.00
10	उदयपुर	सेमारी	34.35	8.9	6.75	50.00
योग			412.20	106.80	81.00	600.00


(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षक अभियन्ता